न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 35/2012 (राजस्व वाद) दायर दिनांक– 09.05.2012

फैसल दिनांक–17 .09.2025

अनवान

1– श्री हुजा पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
2– श्रीमती कमला पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
3– श्रीमती कान्ता पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
4– श्रीमती मणी पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
5– श्रीमती थावरी पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
6– श्रीमती गंगा पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
7– श्रीमती गीता पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
8– श्रीमती कंकु पिता मनजी डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता
9– श्रीमती इटली पिता दोला डेण्डोर उम्र बालींग पेशी खेती निवासी मावीता तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(वादीगण)

बनाम

1– श्री रूपा पिता लालु डामोर उम्र बालींग पेशा खेती निवासी नालवाडा फला कन्तरी
2– श्री हकजी पिता लालु डामोर उम्र बालींग पेशा खेती निवासी नालवाडा फला कन्तरी
3– श्री नाना पिता लालु डामोर उम्र बालींग पेशा खेती निवासी नालवाडा फला कन्तरी
4– श्री नीर पिता लालु डामोर उम्र बालींग पेशा खेती निवासी नालवाडा फला कन्तरी
5– तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री चन्द्रप्रकाश गांधी

वकील प्रतिवादीगण– श्री हरीश पाटीदार

निर्णय

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत
धारा 126 एल.आर.ए. एवं 88,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं उसके बापदादा गांव मावीत के निवासी है एवं उनकी कृषि भुमि व मकान वगेरा गाव मावीत में स्थित है वादीगण का पेठीनामा वाद विवरण में अंकित अनुसार है। मुल व्यक्ति रूपसी पिता धन्ना डेण्डोर है जिनके दो पुत्र दोला एवं तेजा है जिसमें तेजा लाओलाद फोत हो गया उसका कोई वारीस नही रहा। दोला भी फोत हो गया है। उसके वारीसान में पुत्र मनजी एवं तीन पुत्रीया धुली, लीला व इटली है मनजी फोत होने से उसके वारीसान पुत्र वादी नं. 1 हुजा, पुत्र धन्ना, पुत्रीया कमला वादीया नं. 2, कान्ता वादीया नं. 3, मणी वादीया नं. 4, थावरी वादीया नं. 5,

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

गंगा वादीया नं. 6, गीता वादीया नं. 7, कंकु वादीया नं. 8 एवं तुलसी है। जिसमे धन्ना एवं तुलसी की मृत्यु हो गई है। मुल व्यक्ति रूपसी को सम्पत्ति के एक मात्र वारीसान वादीगण है परन्तु वादीया नं. 2 से 9 की शादीया हो चुकी है वह अपने अपने पति के परिवार के साथ निवास करती हुई उनकी सम्पत्ति पर काबीज है और रूपसी की सम्पत्ति पर एक मात्र हुजा वादी नं. 1 काबीज होकर काश्त करता है।

2– यह कि मौजा मावित तहसील सागवाड़ा जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 54/53 कुल किता 23 कुल रकबा 23.19 बिस्वा में खातेदार तेजा पिता रूपसी एवं मनजी पिता दोला मीणा निवासी मावीता का नाम दर्ज है जिनकी आराजीयात का विवरण वाद में अंकित है।

3– यह कि जमाबन्दी संवत् 2022 का खाता की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2066 का खाता संख्या 111/208 है जिसमें भी रकबा 23 बिघा 19 बिस्वा होकर 23 आराजीयात है जिसका विवरण कलम संख्या 2 दिया गया हैं परन्तु उक्त खाते में खातेदार का नाम वादीगण 1 से 7 का नाम एवं सवजी पिता खेमा तथा प्रतिवादी नं. 1 से 5 का नाम दर्ज है सवजी पिता खेमा की मृत्यु हो गई है।

4– यह कि नामान्तरण सं. 311 दिनांक 08.09.2004 तेजा पिता रूपसी के मरने के अर्सा पांच वर्ष बाद खोला गया उस वक्त वादीगण के पिता व भाई मनजी जीवीत था जिसमें पेठी नाम दर्ज कि गया है उक्त पेठीनामा में आई. एल. आर. ने अपनी रिपोर्ट में खेमा को रूपजी का पुत्र बनाकर लालु एवं रूपजी का नाम दर्ज कर लिया जबकि खेमा नालवाडा फला कजरी का रहने वाला है तथा रूपजी का पुत्र नही है। रूपजी के मात्र दो पुत्र तेजा एवं दोला ही है। नामान्तरण सं. 311 में पटवारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उक्त नामान्तरण पटवारी और खेमा के वारीसो की मिली भगत से खोला गया है। क्योंकि मनजी व तेजा ने अपनी जमीन का कोई किस्सा खेमा के पुत्रों को बैचान, बक्षीस या दान नही किया है फिर पटवारी ने किस आधार पर अवधिपार नामान्तरण दर्ज किया और नामान्तरण सं. 311 की कोलम सं. 16 में गलत अंकन कर आई.आल.आर. ने गलत रिपोर्ट नामान्तरण पर की और ग्राम पंचायत बरसिंगपुर से तस्दीक करवा लिया जबकी मनजी इस नामान्तरण से अनभिज्ञ रहा है। आई. एल.आर. की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भुमि में तीसरा हिस्सा खेमा के वारीसो का होना चाहिये था। परन्तु पटवारी व आई.एल.आर. जानता था कि यह नामान्तरण गलत व फर्जी दर्ज कि जा रहा है इसलिये उसने कलम नं. 16 में मनजी का आधा उक्त भुमि में तथा तेजा का आधा हिस्से में आधा हिस्सा कुल 3/4 मनजी का एवं आधा के आधा खेमा के पुत्र के नाम से 1/4 के रूप में अंकन किया है जो गलत अंकन किया गया है।

5– यह कि मनजी की तीन बहनो का नाम धुली, लीला व इटली (प्रति नं. 9) का नाम भी दर्ज नही किया गया है वर्तमान में धुली व लीला की मृत्यु हो गयी है परन्तु इटली जीवीत है जो वाद पत्र में पक्षकार वादीया नं. 9 है।

6– यह कि मनजी की मृत्यु के तीन वर्ष के पश्चात् पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करवाया गया है नामान्तरण सं. 340 तस्दीक दिनांक 24.06.2000 में किया गया है यह नामान्तरण वादीगण ने दर्ज नही कराया है क्योंकि इस नामान्तरण में वादीया नं. 8 व 9 तथा मृतक तुलसी का नाम दर्ज नही किया गया है इस नामान्तरण से भी वादीगण अनभिज्ञ रहे है। उक्त नामान्तरण भी गलत दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

7– यह कि खेमा के पुत्र सवजी व लालु की मृत्यु हो गयी है सवजी का कोई वारीस नही होने की जानकारी प्राप्त हुई तथा लालु के चार पुत्र एवं पुत्री प्रतिवादी नं. 1 से 5 है जो नालवाडा (कंतरी) में निवास करते है तथा वहां उनकी जमीन व मकान है। संवत् 2054–57 की जमाबंदी खाता सं. 6/6 में तीन खेत रकबा दो विघा 14 विस्वा लालु पिता खेमा के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन वर्तमान में लालु के मरने पश्चात् प्रतिवादी नं. 1 से 5 के नाम दर्ज है। जिसका खाता सं. 5/4 संवत् 2066 है उक्त दोनों नकले पेश है।

8– यह कि वादीगण की कृषि भुमि में प्रतिवादीगण का नाम एवं खेमा के पुत्र लालु व सवजी का नाम गलत रूप से अंकन किया है उक्त गलत इन्द्राज की दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

9–यह कि खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि के खाते से प्रतिवादी नं. 1 से 5 का नाम हटाया जाकर वादीया नं. 8 व 9 कस नाम खाते में दर्ज किया जाकर खाते में इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

10–यह कि वादीगण के खाते में खेमा के पुत्रों द्वारा दिनांक 28.03.2012 को झगडा करने से खाते की तथा अन्य नकले दिनांक 18.04.2012 को प्राप्त हुई तब जानकारी में आया कि खाते में गलत इन्द्राज हो गया है।

11–यह कि वाद कारण दिनांक 18.04.2012 से गलत इन्द्राज की जानकारी होने लगातार पेश हो रहा है।

12–यह कि वादीगण के खाते में गलत इन्द्राज होने से एवं प्रतिवादीगण का नाम खाते में रह जाने से प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन पर कब्जा कर लेंगे और वादीगण अपनी भुमि से महरूम हो जायेंगे। इसलिये वादीगण को अपने खाते की भूमि से बैदखल नही करे। इस आशय की वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

13–यह कि दोराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण की भुमि से जबरान बैदखल करने में कामयाब हो गये तो उक्त भुमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को पूनः दिलाया जावे।

यह कि वादी द्वारा दावा अन्दर मियाद पेश है। वादीगण की आराजीयात गांव मावीत तहसील सागवाड़ा में स्थित है वादपत्र का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान का होने से वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादपत्र इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से मालियत रू. 50,000/– आंकी जाकर कोर्ट फीस 2/– पर मय तलबना के वादपत्र पेश कर निवेदन है किया बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार प्रदान की जाये।

1. मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि प्रतिवादी नं. 1 से 5 का नाम एवं सवजी पिता खेमा का नाम खाते से हटाया जाकर खाते में इन्द्राज दुरस्त किया जाय।
2. मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि में वादीया नं. 8 व 9 कंकु एवं ईटली का नाम खाते में दर्ज किया जाय।
3. मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि में प्रतिवादीगण 1 से 5 का एवं सवजी पिता खेमा का 1/8 , 1/8 हिस्सा वादीगण 1 से 9 के हिस्से 3/4 में जोड़ा जाय।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

4. मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि का पुरा रकबा वादीगण का होना घोषित किया जाय।
5. मौजा मावीता का नामान्तरण संख्या 311 दिनांक 08.09.1994 एवं नामान्तरण संख्या 340 दिनांक 24.06.2000 का गलत इन्द्राज होने से निरस्त फरमाया जाय।
6. वादीगण को मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि का पुरे हिस्से पर खेती करने से नही रोके इस आशय की स्थाईनिषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाय।
7. वादीगण को दोराने वाद मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 जिसकी आराजीयात का विवरण कलम संख्या 2 में वर्णित भुमि के 1/8, 1/8 हिस्से से जबरान बेदखल कर कब्जा कर लिया जाय तो प्रतिवादीगण से पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जाय।
8. अन्य कोई दाद उचित हो उसे भी धारा 209 के तहत दिलाया जाये।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा को सम्मन/नोटिस जारी किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से दिनांक 21.05.2012 को उपस्थित होकर वकील हरीशचन्द्र पाटीदार एंव मुनीर शहज़ाद द्वारा वकालात नामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 06.11.2014 को प्रतिवादी का जवाब पेश किया गया, वकील वादी ने प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। वादी वकील द्वारा जवाबुल जवाब एवं प्रतिदावे का जवाब पेश किया गया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकी हेतु निर्धारित की गई।

दिनांक 21.04.2015 को उभयपक्ष पक्षकारान की उपस्थित में निम्नानुसार तनकी कायम कर सुनाई गई।

1–आया वाद में मौजा माविता की जमाबन्दी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 के आराजी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम इन्दाज दुरस्ती कर वादीगण को हटाने के अधिकारी है ?

(वादीगण)

2–आया वाद में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा एंव घोषणा कराने के अधिकारी है ?

(वादीगण)

3–आया वाद में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण 1 से 5 तक रूपसी के वारिसान होकर आधे हिस्से में बंटवारा कर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

(प्रतिवादीगण)

4–दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली शहादत वादी निर्धारित की गई। वादी वकील द्वारा दिनांक 28.10.15 को हुजा एंव इटली के शपथ पत्र पेश किये गये। नकल नियमानुसार दिलाई गई। पत्रावली वास्ते प्रर्दश जिरह हेतु निर्धारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

दिनांक 02.03.16 को गवाह PW1 हुजा ने अपने बयान में बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 28.10.2015 को जो शपथ पत्र मुख्य परिक्षण हेतु पेश किया गया है जिसमें लिखित कुलिया ईबारत मेरे अनुसार लिखी गई है जिसे मैने सुन समझकर उस पर हस्ताक्षर किये है, वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेज संवत् 2066 की जमाबन्दी Ex1 , जमाबन्दी संवत् 2054–57 की Ex2 , खतोनी बन्दोबस्त 2022 की Ex3 , नामान्तकरण संख्या 311 Ex4 , नामान्तकरण सं0340 Ex5 , जिसकी छायाप्रति ए–4, ए–5 है, मुल नामान्तकरण की नकले भी सलंग्न है। जमाबन्दी संवत 2066–2069 Ex6 जो मौजा कन्तरी की है। खतोनी बन्दोबस्त संवत् 2022 मौजा कन्तरी Ex7 , मौजा कन्तरी की जमाबन्दी सवंत् 2054–57 Ex8 है। जिरह वकील प्रतिवादी :– मैने जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें क्या लिखा है वकील सा0ने पढकर सुनाया है यह सही है कि मेरे पिताजी का नाम मनजी है। न्यायालय समय समाप्त होने से गवाह की जिरह रिर्जव रखी गई एंव गवाह PW2 श्रीमती इटली ने अपने बयान में बताया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 28.10.2015 को शपथ पत्र प्रस्तुत वास्ते साक्ष्य पेश किया गया थ, जिसे मैने सुन समझ कर उस पर अपना अंगुठा निशानी है। वादी गवाह से वकील प्रतिवादी की जिरह पुर्ण की गई। गवाह PW1 हुजा की शेष जिरह दिनांक 11.04.2016 को पुर्ण कराई गई।

वकील वादी ने दिनांक 19.10.2016 को गवाह गणेश कटारा का बयान शपथ पत्र पेश किया गया नकल प्रतिवादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जिरह हेतु निर्धारित की गई। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 25.01.17 को गवाह गणेशलाल से जिरह की गई। गवाह गणेश पिता सोमा कटारा निवासी बनकोडा ने अपने बयान में बताया गया दिनांक 19.10.16 को गवाही हेतु शपथपत्र पेश किया है, जिसकी इबारत पढकर समझकर मैने हस्ताक्षर किये है। वकील वादी रिबिटल साक्ष्य रिर्जव रखते हुए अपनी साक्ष्य बन्द कराई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी निर्धारित गई। वकील प्रतिवादी ने दिनांक 14.03.18 को गवाह हकसी का शपथ पत्र बयान पेश किया। नकल वादी वकील को दिलाई गई, पत्रावली वास्ते जिरह द्वारा वकील वादी निर्धारित की गई एंव वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहने पुर्व में कोस्ट पर अवसर दिये जा चुके होने से साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 06.03.19 हेतु निर्धारित की गई।

दिनांक 12.06.19 को वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी बाबत साक्ष्य लेने का पेश किया। वकील वादी ने अनापत्ति जाहिर करने से पत्रावली वास्ते आदेश हेतु निर्धारित की गई। दिनांक 02.12.19 को वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने अवसर प्रदान किया गया।

दिनांक 13.02.2020 को वकील वादी उपस्थित, पुर्व में दिनांक 27.02.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु रखी गई, इसके पश्चात पुनः दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

12.06.2019 को पुनः साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु अवसर देने के पश्चात दिनांक 13.02.2020 तक साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने से साक्ष्य इसी स्तर पर समाप्त कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गई।

दिनांक 19.02.2020 को पुनः वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य खोलने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, नकल वादी वकील को दिलाई गई। दिनांक 16.09.2020 को उभयपक्ष उपस्थित, प्रार्थना पत्र साक्ष्य प्रतिवादी पुनः खोलने का स्वीकार किया जाकर 100/– रूपये की कोस्ट पर अवसर दिया जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु निर्धारित की गई।

दिनांक 04.08.2021 को वकील उभयपक्ष उपस्थित एंव प्रतिवादी वकील ने साक्ष्य पेश करने अवसर चाहने निवेदन किया गया। वर्ष 2017 से प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य हेतु निरन्तर अवसर लिये जाने से दिनांक 27.022019 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई थी, प्रतिवादी के निवेदन पर धारा 151 के तहत पुनः प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 02.12.2019 को पेश करने अवसर दिया गया। दिनांक 13.02.2020 में साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने से असफल रहने पर पुनः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई, जिस पर प्रतिवादी वकील द्वारा पुनः प्रतिवादी साक्ष्य खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अभयपक्ष को सुना जाकर न्यायहित में 100/– रू0कोस्ट पर साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 16.09.2020 को खोली गई पुर्व में दो बार साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाने के उपरान्त भी पुनः साक्ष्य खुलवाई जाकर प्रतिवादी द्वारा आज दिनांक तक अपनी साक्ष्य पेश नही की गई। न्यायहित में पुर्व में कई अवसर दिये जा चुके है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी का पुनः साक्ष्य पेश हेतु आवसर दिये जाने का निवेदन स्वीकार योग्य नही है। प्रतिवादी बार–बार साक्ष्य हेतु अवसर लेकर प्रकरण को निस्तारण में विलम्ब उत्पन्न कर रहा है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है प्रतिवादी का निवेदन अस्वीकार किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 18.08.21 को निर्धारित की गई।

दिनांक 08.09.21 को प्रतिवादी वकील द्वारा धारा 151 के पुनः साक्ष्य प्रतिवादी खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब एंव बहस प्रार्थना पत्र हेतु निर्धारित की गई। दिनांक 15.09.21 को प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 500/– रू0 की कोस्ट पर इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि आगामी पेशी तारिख दिनांक 06.10.2021 को सम्पूर्ण साक्ष्य एक साथ आवश्यक रूप से पेश हो।

दिनांक 09.03.2022 को प्रतिवादी गवाह DW 1 हक्सी के बयान लेखबद्व करा जिरह पुर्ण की गई। प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश करने निवेदन पर अवसर दिया गया। उसके उपरान्त प्रतिवादी साक्ष्य के समर्थन में प्रतिवादी गवाह नाना का शपथ पत्र पेश किया, नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली जिरह प्रतिवादी गवाह से वकील वादी हेतु निर्धारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

दिनांक 21.09.2022 को वकील प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम (1)(क) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया, नकल वादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु निर्धारित की गई। दिनांक 18.01.2023 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया, नकल प्रतिवादी वकील को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम (1)(क) हेतु निर्धारित की गई।

तत्पश्चात कई अवसर दिये जाने के बाद उभयपक्ष की उपस्थिति में प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम (1)(क) पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो को शामिल किये जाने के वादी के दस्तावेज प्रर्दश कराने की आपत्ति को रिर्जव रखते हुए स्वीकार किया गया। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु निर्धारित की गई। दिनांक 08.07.2024 को गवाह हक्सी के बयान लेखबद्व कराये जाकर दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से प्रदर्श डी 8ए तक प्रदर्शित करवाए जिरह पुर्ण की गई ओर साक्ष्य पेश करने अवसर चाहा गया। उसके उपरान्त वकील प्रतिवादी ने दिनांक 12.08.2025 को साक्ष्य पेश न कर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना का प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया,नकल वादी वकील को दिलाई गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु अवसर चाहा, अवसर दिनांक जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र वकील वादी हेतु दिनांक 19.08.25 को निर्धारित की गई। वकील वादी ने पुनः जवाब हेतु अवसर चाहा गया। वकील वादी ने दिनांक 01.09.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का पेश किया, नकल प्रतिवादी वकील को दिलाई गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी दिनांक 03.09.25 हेतु निर्धारित की गई।

दिनांक 03.09.2025 को वादी वकील उपस्थित, प्रतिवादी वकील उपस्थित नही। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 04.09.2025 निर्धारित की गई। दिनांक 04.09.2025 को वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी वकील उपस्थित नही। प्रकरण 10 वर्ष पुराना होने से न्यायहित में प्रतिवादी का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर वादी को सुना गया। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा संशोधित अनवान पेश करने अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित अनवान व बहस अन्तिम हेतु दिनांक 08.09.2025 निर्धारित की गई।

दिनांक 08.09.2025 को वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकीलवादी ने संशोधित अनवान पेश किया । प्रतिवादी वकील के द्वारा आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। उभयपक्षो की प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील ने नानजी के वारिसों के विरूद्व दाद नही चाहने का कहा,प्रतिवादी वकील ने नानजी के वारिसानों के विरूद्व कोई आदेश प्रभावी नही रहने की बात कही, दोनो ही बाते समान्तर होने से वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा, मृत नानजी का नाम प्रतिवादी के रूप में हटाया जाता है। उक्त प्रकरण 10 वर्ष से

उपखण्ड अधिकारी * सागवाड़ा, जि. डूँगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

अधिक पुराना है। प्रतिवादी की साक्ष्य पुर्व में भी कही बार बन्द की जा चुकी है। ऐसे में पृथक से साक्ष्य प्रतिवादी में ओर अवसर दिया जाना न्याय संगत नही है। प्रतिवादी गवाह अनुपस्थित है प्रतिवादी के निवेदन को अस्वीकार किया जा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 10.09.2025 को निर्धारित की गई।

दिनांक 10.09.2025 को वकील वादी उपस्थित ,प्रतिवादी वकील उपस्थित नही। वादी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु निर्धारित की जा बहस सुनी गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्य के आधार पर पत्रावली का निस्तारण तनकीवार किए जाने से यहॉ पर तनकी संख्या 1 व 2 का निस्तारण साथ किया जा रहा है जिसमे तनकी संख्या 1--आया वाद में गौजा माविता की जमाबन्दी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 के आराजी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम इन्दाज दुरस्ती कर वादीगण को हटाने के अधिकारी है ? एव तनकी संख्या आया वाद में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा एंव घोषणा कराने के अधिकारी है ? उक्त दोनो तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के गवाह के द्वारा अपने दावे के तथ्यो को दौहराते हुए दस्तावेज प्रदर्श 1 से 9 तक प्रदर्शित करवाए गए। वादी गवाह जीरह के दौरान कहा गया की मेरे पिता मानजी है,मेरे दादा का नाम दोला है और दोला के पिता का नाम रूपजी था जिसके तीन संताने दोला,खेमा व तेजा हुए,तेजा के कोई संतान नही थी,रूपजी ने कहा शादी की थी मुझे नही पता,रूपजी का ससुराज नालवाडा कन्तरी मे होने की बात गलत है,दोला,तेजा व खेमा का ननिहाल गुदावाडा तहसील सीमलवाडा मे है, हमारे समाज मे किसी भाणेज को नाना के घर रखा जाता है तो गोत्र का अंकन होता है,रूपजी की मृत्यु को करीब सौ वर्ष पुर्व हुई है,रूपजी की मृत्यु होने से खेमा को उसके नानाजी खेमा की उम्र कम होने कारण अपने साथ नालवाडा लेकर गए हो मै नही जानता,खेमा रूपजी का पुत्र नही है,राजस्व रेकार्ड मे तेजा बडे भाई होने के कारण उनके नाम का अंकन है,मेरे पिता मनजी और तेजा दोनो के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुए है,खेमा के पुत्र के नाम सवजी और लालु हो, लालु की सन्ताने कंतरी रहती है,मै यह नही बता सकता की दोला का नाम खाते नही जुडा उसी प्रकार से खेमा का भी खाते मे नही जुडा होगा, विवादित भुमि मेरे दादा रूपजी की है,गॉव मे भुमि नाम दर्ज कराने को लेकर खेमा के पुत्र लालु व सवजी से विवाद हुआ हो तो मुझे नही पता,मुझे नही पता की खेमा के वारीसानो के नाम खाते मे दर्ज करवाने मेरे दादा व पिता की सहमति हो,वर्ष 1994 मे दायर नाभान्तरण के समय मेरे पिता जिवीत थे परन्तु बिमार थे,प्रतिवादीगण माविता मे करीब 15 वर्षो से निवास कर रहे है,वर्तमान राजस्व मेरा नाम 3/4 हिस्से पर दर्ज है,इटली अपने ससुराल मे रहती है इटली के पति की जमीन उनके गॉव बुचियावडा मे है,इटली,लीला व धुली मेरी बहन होती है जिसका नाम खाते मे नही है यह सही है की हमारे सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार बहन व पुत्रीयो का नाम विवाह के बाद नही जुडवाते है,इटली के कानुनी कार्यवाही के बाद भी उसका नाम खाते मे नही

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

जुडा है,अगर खेमा रूपसी उॅर्फ रूपजी का पुत्र होता तो उसका नाम खाते मे तीसरे हिस्से मे दर्ज होता। वादी गवाह गणेश के द्वारा शपथ पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए जीरह मे कहा की,मनजी मेरे ससुर है,रूपजी के दौला,खेमा व तेजा तीन संताने थी अजखुद कहा की दो संतान तेजा व दौला थी,रूपसी उर्फ रूपसी का ससुराल नालवाडा कंतरी मे नही था,हमारे समाज मे किसी संतान का ननिहाल मे रहने पर बोलचाल की वजह से नाम के बाद ननिहाल का गौत्र का अंकन हो जाता है,लालु व सवजी का नाम खाते मे मनजी व तेजा की सहमति से दर्ज नही हुआ है,प्रतिवादीगण नालवाडा कंतरी के निवासी है,यह कहना गलत है की प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर तीस वर्षो से काबिज हो। प्रतिवादी गवाह हक्सी ने जवाब के तथ्यो का दौहराते हुए जीरह मे कहा की हम कंतरी मे रहते थे परन्तु अभी मावित मे रहते है, यह सही है कि मैने शपथ पत्र मे हाल कंतरी मे रहना लिखा है,मनजी ने जो जमीन मुझे दी है उस पर मैने मकान बनाया है,मेरे पिता कितने साल पहले मरे मुझे नही पता,खेमा मेरे दादा के लडके है,मेरे पिता छोटे थे तब खेमा की मृत्यु हो चुकी थी, हम अडक मे डामोर लगाते है क्योकि हमारे पिता डामोर सरनेम लगाते थे,मेरे पिता के मामा ताजु,देवजी व नान है,खेमा छोटे बडे अपने मामा के घर हुए है,मैने लालु और खेमा का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है, तेजा कुवारा था,दोला को मेने नही देखा,वादीगण मनजी की संताने है,वर्ष 1966 की वॉटर लिस्ट मे लालु पिता खेमा व सवजी पिता खेमा का नाम कंतरी मे लिखा हुआ है,सम्वत् 2022 के पुर्व सवजी की मृत्यु हो चुकी थी,मै व मेरे पिता जन्म से कंतरी रहते है। यह कहना सही है की तेजा के हिस्से की जमीन दोला ने ली है,गॉव स्तर 6 बिघा जमीन हमे हमारे काका देकर गए है,खेमा की पत्नि का नाम मुझ याद नही है,प्रदर्श डी 7 हिरालाल ने लिखा है जिस पर हुजा के हस्ताक्षर नही है। वादी के द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2022 मे तेजा के पिता नाम रूपसी व मनजी के पिता का नाम दोला अकित है। प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 मे प्रतिवादी नानजी वगेरा का नाम खाता संख्या 5/4 मौजा कंतरी मे अकिंत है। प्रदर्श 7 जमाबन्दी सम्वत् 2022 मे लालु पिता खेमा का नाम कंतरी मे अकिंत है। प्रदर्श 8 जमाबन्दी सम्वत् 2054–2057 मे लालु पिता खेमा का नाम कंतरी,नालवाडा मे अकिंत है। प्रदर्श 9 निवार्चन नामावली वर्ष 1966 मे लालु पिता खेमा व सवजी पिता खेमा का नाम गॉव नालवाडा मे अकिंत है। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश वकालनामा मे भी उनका पता नालवाडा कंतरी ही अकिंत है। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश वॉटर आई डी कार्ड व राशन कार्ड वर्ष 2001 के है। उपरोक्त विवेचना यह इन्कार नही किया जा सकता की वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम एक ही होने से प्रतिवादीगण के द्वारा मिली भगत से वादीगण के खाते मे अपना नाम दर्ज करवाया गया हो साथ ही प्रतिवादी गवाह स्वय इस तथ्यो को स्वीकारते है कि वह छोटे से बडे कंतरी नालावाडा मे ही हुए है। रूपसी उॅर्फ रूपजी की संतानो की तो यहॉ यह प्रश्न निर्विद है कि तेजा लाऔलाद फोत हुआ था और उसके हिस्से की जमीन दोला की मिली थी अगर उस समय खेमा अथवा खेमा वारीसान गॉव मावित के ही निवासी होते तो तो

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

तेजा की जमीन को दो भागो मे दोला व खेमा मे बँटवाकर दर्ज करवाते। नामान्तरण सं. 311 दिनांक 08.09.2004 तेजा पिता रूपसी के मरने के अर्सा पांच वर्ष बाद खोला गया उस वक्त वादीगण के पिता व भाई मनजी जीवीत था जिसमें पेठी नाम दर्ज कि गया है उक्त पेठीनामा में आई. एल. आर. ने अपनी रिपोर्ट में खेमा को रूपजी का पुत्र बनाकर लालु एवं रूपजी का नाम दर्ज कर लिया जबकि खेमा नालवाड़ा फला कजरी का रहने वाला है तथा रूपजी का पुत्र नही है। रूपजी के मात्र दो पुत्र तेजा एवं दोला ही है। नामान्तरण सं. 311 में पटवारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उक्त नामान्तरण पटवारी और खेमा के वारीसो की मिली भगत से खोला गया है। क्योंकि मनजी व तेजा ने अपनी जमीन का कोई किस्सा खेमा के पुत्रों को बैचान, बक्षीस या दान नही किया है फिर पटवारी ने किस आधार पर अवधिपार नामान्तरण दर्ज किया। मौजा माविता तहसील सागवाड़ा जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 54/53 कुल किता 23 कुल रकबा 23.19 बिस्वा में खातेदार तेजा पिता रूपसी एवं मनजी पिता दोला मीणा निवासी मावीता का नाम दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2022 का खाता की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2066 का खाता संख्या 111/208 है जिसमें भी रकबा 23 बिघा 19 बिस्वा होकर 23 आराजीयात है जिसका विवरण कलम संख्या 2 दिया गया हैं परन्तु उक्त खाते में खातेदार का नाम वादीगण 1 से 7 का नाम एवं सवजी पिता खेमा तथा प्रतिवादी नं. 1 से 5 का नाम दर्ज है जबकी सवजी की मृत्यु सेटमेन्ट के पुर्व ही हो चुकी थी। वादीगण का सरनेम डेण्डोर है और प्रतिवादीगण का सरनेम डामोर है। वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे और वह मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 में वर्णित भुमि प्रतिवादी नं. 1 से 5 का नाम एवं सवजी पिता खेमा का नाम खाते से हटा कर खाते में इन्द्राज दुरस्ती कराने के व स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण वादग्रस्त भुमि वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई रूकावट पैदा नही करे और नही किसी अन्य से करावे, को विरुद्ध पाने के अधिकारी है।

पत्रावली मे प्रतिवादी के पक्ष मे नी तनकी संख्या 1 आया वाद में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण 1 से 5 तक रूपसी के वारिसान होकर आधे हिस्से में बंटवारा कर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ? जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, प्रतिवादीगण के अपने पिता लालु के पिता का नाम खेमा और खेमा के पिता का नाम रूपजी हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। वादीगण का सरनेम डेण्डोर है और प्रतिवादीगण का सरनेम डामोर है। प्रतिवादीगण के गवाह के द्वारा स्वय कहा है कि हम पहले कंतरी मे निवास करते थे और वर्तमान मे माविता निवास करते है परन्तु उनके द्वारा पेश वकालतनामे मे अपना पता नालवाड़ा कंतरी अकिंत करवाया गया है। प्रतिवादीगण के माविता के निवास बाबत् दस्तावेज भी वर्ष 2000 के बाद के है। प्रतिवादीगण हक्सी ने कहा है कि मै व मेरे पिता छोटे से बड़े कंतरी मे ही हुए है। मेरे पिता कितने साल पहले मरे मुझे नही पता,खेमा मेरे दादा के लड़के है,मेरे पिता छोटे थे तब खेमा की मृत्यु हो चुकी थी,मैने लालु और खेमा का मृत्यु प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

पत्र पेश नही किया है,वर्ष 1966 की वॉटर लिस्ट मे लालु पिता खेमा व सवजी पिता खेमा का नाम कंतरी मे लिखा हुआ है,सम्वत् 2022 के पुर्व सवजी की मृत्यु हो चुकी थी,मै व मेरे पिता जन्म से कंतरी रहते है। यह कहना सही है की तेजा के हिस्से की जमीन दोला ने ली है,खेमा की पत्नि का नाम मुझ याद नही है,प्रदर्श डी 7 हिरालाल ने लिखा है जिरा पर हुजा के हस्ताक्षर नही है। वादीगण अपनी तनकी साबित करनेमे सफल रहे जिससे भी प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे। वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण 1 से 5 तक रूपसी के वारिसान होकर आधे हिस्से में बंटवारा कर खातेदार घोषित कराने के अधिकारी नही है।

पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात् के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त सम्पुर्ण विवेचन से तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है और प्रतिवादी तनकी संख्या 3 को साबित करने असफल रहे है जिससे तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे निर्णित कि जाती है और तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित कि जाती है।

यह कि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे एव तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के विरूद्व मे निर्णित होने से वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 में वर्णित भुमि प्रतिवादी नं. 2 से 5 का नाम एवं सवजी पिता खेमा का नाम खाते से हटा कर खाते में इन्द्राज दुरस्ती करने के तहसीलदार को आदेश दिए जाते है साथ ही नामान्तरण संख्या 311 दिनाक 08.09.1994 व 340 दिनाक 24.06.2000 को निरस्त किया जाता है जिसकी पालना तहसीलदार के द्वारा करवाई जावे एंव प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बैदखल कर कब्जा वादीगण को तहसीलदार सागवाडा के द्वारा दिलावा जावे एव इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण वादग्रस्त भुमि मे वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई रूकावट पैदा नही करे और नही किसी अन्य से करावे,निर्णित किया ज़ाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर स्वीकार किया जा निर्णय एव डिकी जारी की जाती है पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें निर्णय आज दिनाक....17/9/25.......को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा,जि. डूंगरपुर (राज.)

(सुबोधसिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी   मुकाम – सागवाडा

बईजलास – श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

श्री हुजा पिता मनजी वगेरा   बनाम   रूपा पिता लालु वगेरा

निवासी माविता   नि0नालवाडा फला कंतरी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0टी0एक्ट धारा 126 एल.आर एक्ट बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा,घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती जारी करने

प्रकरण संख्या 35/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार एवं डिग्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा मावीता के जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता संख्या 111/208 में वर्णित भुमि प्रतिवादी नं. 2 से 5 का नाम एवं सवजी पिता खेमा का नाम खाते से हटा कर खाते में इन्द्राज दुरस्ती कर नामान्तरण संख्या 311 दिनाक 08.09.1994 व 340 दिनाक 24.06.2000 को निरस्त किया जावे एंव प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बैदखल कर कब्जा वादीगण को दिलावा जावे एव इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की प्रतिवादीगण वादग्रस्त भुमि मे वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई रूकावट पैदा नही करे और नही किसी अन्य से करावे,निर्णित किया जाता है।

नीज................मुबलिग................बाबत....................खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर.......... फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक....................का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जेला डूंगरपुर (राज

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जेला डूंगरपुर (राज

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)